संख्या–733/सत्तर–5–2010–4(12)/2004टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रामानन्द प्रसाद,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
कुलसचिव
म0 ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 11 अगस्त, 2010

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– रू0वि0/सम्ब0/2010/3567–68, दिनांक 29–04–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन राजकीय महाविद्यालय बदायूं को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र) वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0 काम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रमों/विषयो में निम्नलिखित शर्त के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली अध्यादेश में वर्णित तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों और समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 733(1)/सत्तर–5–2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
3– प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बदायूं ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)
संयुक्त सचिव

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बदायूँ

Scanned by CamScanner

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0/सम्बद्धता/2016/93-101 दिनांकः 30.09.2016

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
बदायूँ।

विषयः राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एमए0(अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत एम0काम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति ले जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति बैठक दिनांक 30.09.2016 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था राजकीय महाविद्यालय, बद को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत एमए0(अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, समाजशास्त्र व राजनीतिशास्त्र) तथा वाणिज्य संकायान्तर एम0काम0 प्रत्येक में एक-एक सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) पाठ्यक्रमों/विषयों में दिनांक 01.07.2016 से निम्नलिखित शर्तों अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तु के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक व में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश स 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चि किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारि शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जा है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता न दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हे स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति ।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

डॉ0(एस.एल.
कुलसचिव

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बदायूँ

Scanned by CamScanner